कार्यालयः– जनपद न्यायालय, ललितपुर

सार्वजनिक सूचना

जनपद न्यायालय परिसर ललितपुर में कैन्टीन(चाय, नमकीन, मीठा, चांट एवं फल जूस व शीतल पेय पदार्थ) एवं साइकिल स्टैण्ड वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ठेकों की नीलामी दिनांक **05.03.2020 को अपरान्ह 4–00 बजे** सभागार कक्ष,जनपद न्यायालय,ललितपुर में नीलामी समिति की देख रेख में सम्पन्न की जावेगी।नीलामी हेतु आवश्यक सूचना निम्नवत हैः–

1. नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले ठेकेदार को नीचे अंकित चार्ट अनुसार धरोहर राशि जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहता है तो उसके द्वारा जमां की गयी धरोहर राशि राज्य सरकार के हित में जब्त कर पुनः ठेके की नीलामी की जावेगी। जिस व्यक्ति के नाम ठेका नहीं होगा, उसकी जमा धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर वापस कर दी जायेगी।
2. केवल उन बोली दाताओं को नीलामी में भाग लेने दिया जायेगा, जिन पर ठेको के वावत पिछले वित्तीय वर्षो का कोई बकाया शेष न हो।
3. बोली स्वीकृत होने पर नीलाम की आधी धनराशि नीलामी पश्चात तुरन्त शेष राशि अगले दो माह के अन्दर जमा करानी होगी । उपरोक्तानुसार धनराशि जमा न कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी।
4. नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मा0 जनपद न्यायाधीश महोदय, ललितपुर को होगा।
5. नीलामी की प्रक्रिया को मा0 जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात ही सम्पूर्ण माना जायेगा।
6. नीलामी के अनुमोदन के पश्चात ठेका लेने बाले व्यक्ति को सम्बन्धित ठेके के वावत अनुबन्ध अंकन 100 रु0 के स्टाम्प पर नियमानुसार निष्पादित करा कर दाखिल करना होगा। स्टाम्प नीलाम केता को स्वयं कय कर प्रस्तुत करना होगा।
7. प्रत्येक ठेकेदार को न्यायालय भवन के सामने गेट के पास सडक के किनारे खाली भूमि में विनिर्दिष्ट स्थान प्रदान किया जायेगा, जिसमें ठेकेदार द्वारा अपना अस्थायी स्टाल लगा कर निर्धारित कार्य करेगे। निर्धारित स्थल पर कैन्टीन संचालित न होने पर धरोहर राशि जब्त कर ठेका समाप्त कर पुनः ठेके की नीलामी की जायेगी ।
8. जो बोली दाता अधिकतम बोली बोलने के पश्चात नीलामी की शर्तो का अनुपालन नही करेंगें तो उसकी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलते समय अपना पहिचान पत्र आधार कार्ड एवं एक फोटो तथा मोबाइल नं0 जमा करना होगा।
10. ठेका कैंटीन , साइकिल स्टैण्ड का वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये दिया जायेगा।
11. कैन्टीन हेतु विद्युत संयोजन स्वयं के ब्यय पर लेना होगा । विद्युत संयोजन की रसीद ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व दाखिल करनी होगी । प्रतिष्ठान पर बिना वैध कनेक्शन के विद्युत संयोजन पाये जाने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।
12. कैन्टीन संचालन हेतु यदि कोई जी0एस0टी0 अथवा अन्य कर देय होगा तो उसे स्वयं अदा करना होगा ।

धरोहर धनराशि का विवरण

कमांक	ठेके का विवरण	धरोहर राशि का विवरण	भूमि का विवरण
1	कैंटीन	5,000/–	मुख्य गेट के पास खाली भूमि 30 फीट लम्बी एवं 9 फीट चौडी
2	साइकिल स्टैण्ड	1000/–	मुख्य गेट के सामने खाली भूमि

दिनांक : 27–02–2020

(जगदीश कुमार)
अध्यक्ष
नीलाम समिति / अपर जिला जज (SC/ST Act)
ललितपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

1. नाजिर सदर, कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ललितपुर।
3. सहायक नाजिर जनपद न्यायालय,ललितपुर।
4. जिला सूचना अधिकारी ललितपुर को दैनिक समाचार पत्र में शासनादेश सं0 562/उन्नीस –2–2007–1007/74 (टी0सी0), सूचना अनुभाग 2 लखनऊ दिनांकित 04.07.2007 के अनुपालन में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय,ललितपुर को जनपद न्यायालय, ललितपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जगदीश कुमार)
अध्यक्ष
नीलाम समिति /
अपर जिला जज (SC/ST Act)
ललितपुर ।